ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक: एक प्रेरणादायक यात्रा
(पृष्ठ – 02)

स्वावलंबन की ओर बढ़ते कदम
(पृष्ठ – 03)

सतत् जीविकोपार्जन योजना से जविहा खातुन के जीवन में आया बदलाव
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – मार्च 2025 ।। अंक – 44

सतत् जीविकोपार्जन योजना: अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए आत्मनिर्भरता की राह

सतत् जीविकोपार्जन योजना अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह योजना न केवल स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि लाभार्थी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर उनके जीवन स्तर को भी सुधार रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सरकारी विभिन्न योजनायों जैसे राशन कार्ड, बिमा, आयुष्मान कार्ड, बिजली कनेक्शन, विधवा पेंशन, दिव्यांग एवं वृद्धा पेंशन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

बिहार सरकार द्वारा संचालित इस महात्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन जीविका परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अत्यंत गरीब परिवारों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना में मुख्य रूप से उन परिवारों को जोड़ा जा रहा है, जो पहले शराब–ताड़ी के उत्पादन और बिक्री से जुड़े थे। जीविका की दीदियाँ गाँव–गाँव जाकर इन परिवारों की पहचान कर रही हैं और उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं, ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता

बिहार राज्य में सतत् जीविकोपार्जन योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 2,01,218 परिवारों को जोड़ा जा चुका है। इनमें से 1,91,164 से लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन अंतराल राशि का वितरण तथा एकीकृत उत्पादक संपत्ति हेतु जीविकोपार्जन निवेश राशि भी प्रदान की गई है। यह वित्तीय सहायता इन परिवारों को स्वरोजगार अपनाने और अपने व्यवसाय को स्थायी रूप से स्थापित करने में मदद कर रही है।

इस योजना के अंतर्गत 1,18,782 परिवारों को सूक्ष्म व्यवसायों से जोड़ा गया है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा 70,814 परिवारों को पशुपालन से जोड़ा गया है, जिससे वे दुग्ध उत्पादन और पशुधन आधारित व्यवसायों के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं। वहीं 1,568 परिवार ऐसे हैं, जो कृषि संबंधी गतिविधियाँ अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। योजना से सहायता प्राप्त कर 66,024 परिवारों द्वारा दो या दो से अधिक व्यवसाय को किया जा रहा है।

बिहार सरकार ने सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया है, ताकि लाभार्थियों को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। यह निर्णय सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत अत्यंत निर्धन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

योजना का प्रभाव एवं सफलता की कहानियाँ

इस योजना के प्रभाव से लाभार्थी परिवार न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, बल्कि वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी सक्षम हो रहे हैं। जीविका की दीदियों द्वारा प्रशिक्षित महिलाएँ अपने पारंपरिक व्यवसायों के अलावा विभिन्न आधुनिक कौशल भी सीख रही हैं, जिससे वे अपने परिवारों को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने में सक्षम हो रही हैं।

योजना के तहत जुड़ी अनेक महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानियाँ गढ़ी हैं। कई महिलाएँ छोटे पैमाने पर व्यवसाय शुरू कर अब आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। कुछ ने किराने की दुकानें, सिलाई–कढ़ाई केंद्र, सब्जी की खेती और डेयरी फार्मिंग जैसे व्यवसायों में सफलता हासिल की है। इस योजना के कारण अब वे नियमित आय अर्जित कर रही हैं और अपने परिवारों को बेहतर जीवन देने में सक्षम हो रही हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना : एक समग्र बदलाव की पहल

यह योजना केवल आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और मानसिक बदलाव का भी कारक बन रही है। अत्यंत गरीब परिवार, जो पहले जीविका के साधनों से वंचित थे और समाज की मुख्यधारा से कटे हुए थे, अब इस योजना के तहत सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

इस योजना का उद्देश्य सिर्फ वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक समग्र और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करना है। लाभार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार व्यवसाय स्थापित करने में मदद की जाती है। प्रशिक्षण, बाजार से जोड़ने और तकनीकी सहयोग के माध्यम से उनका सशक्तिकरण किया जाता है।

बिहार सरकार इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी रख रही है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर भी समन्वय समितियाँ बनाई गई हैं, जो लाभार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने का कार्य कर रही हैं। इसके अलावा, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार अन्य विभागों और संगठनों के साथ भी साझेदारी कर रही है।

संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक: एक प्रेरणादायक यात्रा

अरहुल कुमारी, पूर्णिया जिला अंतर्गत बरहारा कोठी प्रखंड की मुल्किया पंचायत की निवासी हैं। अरहुल का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। 18 वर्ष की उम्र में शादी और 22 वर्ष की उम्र तक तीन बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। बेरोजगार पति के साथ पांच सदस्यों के परिवार का भरण–पोषण मुश्किल था। कई बार घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता था। ऐसे कठिन समय में उन्होंने कंचन जीविका महिला ग्राम संगठन से जुड़कर आशा की एक नई किरण देखी।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत सीआरपी दीदी के सहयोग से ग्राम संगठन ने अरहुल कुमारी को अत्यंत गरीब परिवार की श्रेणी में चयनित किया। उनकी मांग के अनुसार ग्राम संगठन की खरीदारी समिति ने 15000 रुपये के किराना सामान और 5000 रुपये की लागत से सिलाई मशीन प्रदान की। साथ ही, एलजीएएफ मद से सात महीनों तक 1000 रुपये मासिक सहायता भी मिली।

वर्तमान में, किराना दुकान से होने वाली मासिक आय 5000 से 7000 रुपये के बीच है। अब उनका परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो गया है। उन्होंने अपने घर का निर्माण कराया, चापाकल लगवाया और बैंक में 3000 रुपये की बचत भी की है। उनके पति व्यवसाय में सहयोग कर रहे हैं, और वे त्योहारों एवं हर मौसम के हिसाब से दुकान में सामान रखते हैं, जिससे अच्छी आमदनी होती है।

भविष्य में, अरहुल अपने किराना व्यवसाय को और विस्तार देना चाहती हैं और पशुपालन को भी एक नए स्तर पर ले जाने की योजना बना रही हैं। वह पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण की नई कहानी

सिवान जिला की भगवानपुर हाट प्रखंड, सहशराव पंचायत निवासी आशा देवी का जीवन कठिन संघर्षों से भरा रहा। शादी के आठ साल बाद उनके पति लकवाग्रस्त हो गए, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। सात सदस्यों वाले परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया, और मजबूरी में उन्होंने मजदूरी करनी शुरू की, जिससे वे प्रतिदिन 50–100 रुपये ही कमा पाती थीं।

सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत विश्वास जीविका महिला ग्राम संगठन की मदद से दिसंबर 2018 में उन्हें आर्थिक सहयोग मिला। उन्हें तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया । योजना के तहत मिले विशेष निवेश निधि की राशि 10000 रुपये से उन्होंने एक गुमटी बनवाई गई। बाद में उन्हें ग्राम संगठन के द्वारा जीविकोपार्राजन निवेश निधि की 20000 रुपये से किराना दुकान का सामान मिला। इस दुकान के संचालन से होने वाले आमदनी से उन्हें आय होने लगा।

सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक उनके देवर गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। आशा देवी ने अपनी सारी बचत इलाज में खर्च कर दी, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाईं। इस घटना से उनका व्यवसाय ठप हो गया। मास्टर संसाधन सेवी की साप्ताहिक भ्रमण में यह जानकारी सामने आई, जिसके बाद ग्राम संगठन ने सर्वसम्मति से दूसरी किश्त जारी की। इस राशि से उन्होंने चार बकरियां खरीदीं और बटाई पर खेती शुरू की।

आज उनके पास किराना दुकान, गाय पालन, बकरी पालन और खेती जैसे आय के साधन हैं, जिनकी कुल संपत्ति 119005 रुपये है। उनकी औसत मासिक आय 7000 से 8000 रुपये के बीच है। बैंक खाता में 9000 रुपये जमा है। सरकारी योजनाओं से उन्हें पक्का मकान, नल–जल योजना, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है।

अब वे अपने व्यवसाय को और बढ़ाकर थोक दुकान और खाद्य उत्पाद निर्माण करना चाहती हैं। साथ ही, वे डेयरी खोलकर अन्य महिलाओं को रोजगार देने का सपना देख रही हैं।

स्वावलंबन की ओर बढ़ते कदम

मोकिमा खातून, पति इदरीश मिया, पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के पुरनहिया पंचायत की रहने वाली हैं। वह सागर जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं और साईं जीविका महिला ग्राम संगठन व अंश जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ से जुड़ी हुई हैं।

46 वर्षीय मोकिमा खातून का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। शादी के कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जब पति की लंबी बीमारी के इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, तो परिवार आर्थिक संकट में आ गया। इस दौरान उनकी सास का निधन हो गया और तीसरी बेटी के जन्म के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। कमाई का कोई जरिया न होने के कारण मोकिमा खातून को मजबूरन भीख मांगकर अपने बच्चों और बीमार पति का भरण–पोषण करना पड़ा। दुर्भाग्यवश, सही इलाज के अभाव में उनके पति की मृत्यु हो गई, जिससे उनकी स्थिति और दयनीय हो गई।

परिवार और रिश्तेदारों से कोई सहयोग न मिलने पर उन्होंने मजदूरी कर किसी तरह गुजारा किया। लेकिन चार साल पहले सागर जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उनके जीवन में नया मोड़ आया। ग्राम संगठन के माध्यम से सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत उन्हें 10,000 रुपये प्रदान किया गया, जिससे उन्होंने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। जीविका दीदियों के सहयोग से उनकी दुकान चल पड़ी, और आमदनी बढ़ने पर उन्होंने बकरी पालन भी शुरू कर दिया।

आज मोकिमा खातून अपने व्यवसाय से प्रति माह 3,000–4,000 रुपये कमा रही हैं। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, परिवार में पोषणयुक्त आहार सुनिश्चित हुआ है, और उनकी खुद की 40,000 रुपये की बचत भी हो गई है। उन्होंने अपनी दो बेटियों की शादी भी कर दी है और अब आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं।

आत्मनिर्भरता की नई मिसाल

उर्मिला कुंवर, पति स्व. दिनेश प्रजापति, औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के शिवगंज गाँव की रहने वाली हैं। वह यशु जीविका महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं और महिमा जीविका महिला ग्राम संगठन व उज्ज्वल जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ से जुड़ी हुई हैं।

लगभग बीस साल पहले शादी के बाद उर्मिला कुंवर का जीवन सुखद था, लेकिन उनके पति शराब बेचने का काम करते थे और खुद भी अधिक मात्रा में शराब पीते थे। शराब की लत के कारण उनकी सेहत लगातार गिरने लगी, और एक दिन अत्यधिक शराब पीने से उनका निधन हो गया। पति की मृत्यु के बाद उर्मिला कुंवर और उनके बच्चों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। वह मजदूरी कर किसी तरह परिवार चला रही थीं, लेकिन ससुराल में उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ी। सास–ससुर और अन्य परिजनों ने उनके साथ मारपीट भी की, जिससे उनका जीवन और कठिन हो गया।

इस कठिन परिस्थिति को देखते हुए महिमा जीविका महिला ग्राम संगठन ने उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना में चयनित किया। इस योजना के तहत उन्हें किराना दुकान चलाने का प्रशिक्षण मिला, जिससे उनमें आत्मविश्वास जगा। दीदी को योजना के तहत विशेष निवेश निधि की राशि 10000 प्रदान किया गया, जिससे अपने घर में ही दुकान खोलने हेतु रैक और काउंटर बनवाती है। ग्राम संगठन के द्वारा जीविकोपार्जन निवेश निधि की 20000 रुपये से किराना सामान खरीद कर दिया गया। इसके अलावा 7 महीने तक 1000 रुपये प्रति माह दिया गया। ग्राम संगठन की मदद से उन्हें दुकान का सामान मिला और धीरे–धीरे उनकी आमदनी 10,000–12,000 रुपये प्रति माह हो गई। बेहतर कमाई होने पर उन्होंने अपनी दुकान में श्रृंगार सामग्री भी जोड़ ली। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आमदनी से एक सिलाई मशीन खरीदी और सिलाई का भी काम शुरू किया।

आज उर्मिला कुंवर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है। उन्होंने बैंक के माध्यम से अपना बीमा कराया, राशन कार्ड बनवाया और विधवा पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। अब वह नियमित रूप से अपनी बचत बैंक में जमा कर रही हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना से उन्हें नया जीवन मिला है, जिसके लिए वह ग्राम संगठन की आभारी हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से जविहा खातुन के जीवन में आया बदलाव

जविहा खातून, नवादा जिला के रोह प्रखंड अंतर्गत मरुई पंचायत के सुन्दरा गाँव की निवासी हैं। उनके परिवार में उनकी बुढ़ी सास और तीन बच्चे हैं। आज से छह साल पहले तक उनके परिवार का जीवन खुशहाली से बीत रहा था। परिवार मे सभी लोग हंसी–खुशी के साथ रह रहे थे। उनके पति अपने गाँव में राज मिस्त्री का काम करते थे। जिससे परिवार का भरण –पोषण होता था।

एक दिन उनके पति काम के दौरान अचानक छत पर से नीचे गिर गए,जिससे उनका देहांत हो गया। इसके बाद जविहा का पूरा परिवार बिखर गया, जिस कारण पूरे परिवार की जिम्मेवारी जविहा दीदी के ऊपर आ जाता है। परिवार चलाने की बहुत बड़ी संकट आ गई थी, क्योंकि आमदनी का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। स्थिति दिनोंदिन बदतर होती जा रही थी। जविहा दीदी घर से बाहर निकलने लगीं और गांव में ही दूसरे के खेतों मे मजदूरी करने लगीं। मजदूरी में जो पैसा मिलता था, उससे बड़ी मुश्किल से परिवार को दो वक्त का रोटी मिलता था।

4 अप्रैल 2020 को जविहा के जीवन में एक नई आशा किरण दिखाई देती है, जब प्रकाश जीविका महिला ग्राम संगठन से तीन सी.आर.पी. दीदी उनके घर आती हैं। जविहा दीदी की दयनीय स्थिति को देखते हूए उनका चयन प्रकाश ग्राम संगठन द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलकर जविहा दीदी को योजना के तहत विशेष निवेश निधि की राशि 10000 प्रदान किया गया, जिससे अपने घर में ही दुकान खोलने हेतु रैक और काउंटर बनवाती है। प्रकाश जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा जीविकोपार्राजन निवेश निधि की 42000 रुपये से किराना सामान खरीद कर दिया गया। इसके अलावा 7 महीने तक 1000 रुपये प्रति माह दिया गया। संपत्ति मिलने के बाद जविहा दीदी अपना व्यवसाय अच्छे से चलाने लगती है। ग्राम संगठन एवं परियोजना कर्मियों के लगातार सहयोग से धीरे–धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाती गई। आगे चलकर उन्होंने बचत की राशि से एक सिलाई मशीन खरीदती हैं। बाद में मनिहारी का सामान भी अपने दुकान में रखने लगीं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना में जुड़ने से जविहा दीदी और उसके परिवार के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब जविहा को दुकान संचालन में उनके बच्चे भी मदद करते हैं। वह दुकान चलाने के साथ–साथ कपड़े भी सिलाई करती हैं। दुकान में प्रतिदिन का बिक्री 2500 से 3000 रुपये के बीच है। दुकान संचालन और कपड़े की सिलाई से महीने में 8000 से 10000 रूपये के बीच आमदनी हो रहा है। वर्तमान में सभी व्यवसाय को मिलाकर उनके पास लगभग 2,04,294 रुपए की संपति है। अब जविहा और उसके परिवार को कभी भूखे नहीं सोना पड़ता है। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और परिवार के सभी लोग हंसी–खुशी से जीवन बिता रहे है।

भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने हेतु जविहा दीदी अपने वर्तमान व्यवसाय को होलसेल के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके अलावे एक कपडा सिलाई सेंटर खोलना चाहती है,जहां पर बहुत सारे लोगों को एक साथ कपड़ा की सिलाई सिखाया जाए।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – राज्य परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार